



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 350 राँची, मंगलवार,

4 अगस्त, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

1 जुलाई, 2020

संख्या-5/आरोप-1-32/2020-6313 (HRMS)-- श्री सत्य प्रकाश, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-852/03) अनुमंडल पदाधिकारी, चैनपुर गुमला के विरुद्ध उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-584, (ii)/स्था0, दिनांक 06.06.2020 द्वारा अनुमंडल मुख्यालय, चैनपुर में आवासित नहीं रहने, अनधिकृत रूप से अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र से बाहर जाकर वाहनों की चेकिंग एवं जुर्माना वसूली करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गई है।

2. उक्त आरोपों की गंभीरता को देखते हुए श्री प्रकाश को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री प्रकाश का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग रहेगा जहाँ वे प्रतिदिन बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अन्तर्गत उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	SATYA PRAKASH (JHK/JAS/89)	श्री सत्य प्रकाश, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-852/03) अनुमंडल पदाधिकारी, चैनपुर गुमला को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।	01/07/2020

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
